(70)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / पुर्नाविलोकन / 2018

पुनर्वालोकन – 5245/2018/भोपाल/भू०रा०

श्री सुनील शिवनारायण द्वारा आज दि० 23/8/18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 6-9-18 नियत। 23.8.18 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1. शिवनारायण पुत्र श्री राजाराम,
2. भवगतीबाई पत्नी श्री शिवनारायण
3. विनोद पुत्र श्री शिवनारायण,
4. सुनील पुत्र श्री शिवनारायण,

निवासीगण ग्राम – गोंदरमऊ, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म0प्र0)

—— आवेदकगण

बनाम

अवधकिशोर सिंह 6 पुर 2 PS.
23/8/18

1. हरीसिंह पुत्र स्व0 श्री मुंशीलाल,
2. शेषराम पुत्र स्व0 श्री मुंशीलाल,
3. नन्दकिशोर पुत्र स्व0 श्री मुंशीलाल,
4. कमलाबाई पुत्री स्व0 श्री मुंशीलाल,
5. इमरतबाई पुत्री स्व0 श्री मुंशीलाल,
6. मोहनबाई पुत्री स्व0 श्री मुंशीलाल,

निवासीगण ग्राम – गोंदरमऊ, तहसील, हुजूर, जिला भोपाल (म0प्र0)

——अनावेदकगण

पुर्नाविलोकन आधीर धारा 51, म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक निगरानी / पी.बी.आर. / भोपाल / भू.रा. / 2018 / 1752 में पारित आदेश दिनांक 07.08.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पुनर्विलोकन/5242/2018/भोपाल/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-10-2018	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । मूल निगरानी प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह पुनर्विलोकन आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2018/1752 में पारित आदेश दिनांक 7-8-18 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:- 1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो कि सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा प्रेश नहीं की जा सकती थी, या 2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3. कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदकगण की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात या साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जिससे इस न्यायालय द्वारा मूल निगरानी प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 7-8-18 में हस्तक्षेप किया जा सके । आवेदकगण द्वारा अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षों में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	